Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute Appeal Case No.- 38/2025]

Jaimant Singh.....Appellant

Versus

The State of Bihar and Others .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4

19.2.2026

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-32/2023-24 में दिनांक-24.9.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न है :-

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता		खेसरा नया/पु0		रकवा
		पुराना	नया	पुराना	नया	
सिंहेश्वर	पटोरी/205	554	639	2004	3562	02 कट्ठा 1 धूर

दिनांक-31.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/ Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी की ओर से लिखित जवाब दाखिल है।

अपीलार्थी का कहना है कि निम्न न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को इस प्रकार के विवादों का निपटारा करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। उनका कहना है कि B.L.D.R. Act. 2009 एवं Rule 2010 के अनुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को मात्र बिहार सरकार के द्वारा आवंटित रैयत एवं बन्दोबस्तधारी रैयत के मामलों के निपटारा करने का क्षेत्राधिकार प्रदत्त है। निम्न न्यायालय को अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधपुरा के आदेश का निष्पादन करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः निम्न न्यायालय आदेश विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार दोष से ग्रसित है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल Written Argument में अंकित है क्या भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा Title Suit No-633/2024 एवं अपील वाद संख्या-38/2025 के लंबित रहने के दौरान परिसर खाली कराने का अधिकार है? उनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन बाबू महादेव प्रसाद सिंह, पिता-किशोर नारायण सिंह की जमींदारी के अन्तर्गत थी। तथा यह कि अपीलार्थी के पिता श्री दुर्गा प्रसाद को रजिस्टर्ड कबूलियत से 01 कट्ठा 01 धूर दिनांक-01.6.1936 को प्राप्त हुआ। तथा प्रश्नगत जमीन पर उनके पूर्वज तथा स्वयं अपीलार्थी का दखल कब्जा चलता आ रहा है। उनका कहना है कि प्रश्नगत खाता-खेसरा का 01 कट्ठा जमीन प्रतिवादी के कब्जे में रहता आया है। उनका कहना है कि प्रतिवादी द्वारा किशोर नारायण सिंह से फसली वर्ष 1342 (लगभग वर्ष 1935) का पूर्व दिनांकित परवानगी दस्तावेज बनवा लिया गया। तथा यह कि विपक्षी द्वारा पूरे 02 कट्ठा 01 धूर का बंदोबस्ती अपीलार्थी के रजिस्ट्रर्ड कबूलियत से प्राप्त 01 कट्ठा 01 धूर से पूर्व का दिखाया गया है। अपीलार्थी की ओर से 01 कट्ठा 01 धूर पर स्वयं का तथा शेष 01 कट्ठा पर विपक्षी के स्वत्व का दावा किया जा रहा है। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वज के समय से ही विपक्षीगण के दखल-कब्जा में चला आ रहा है। तथा उक्त भूमि विपक्षीगण के पूर्वज सदानन्द सिंह के दादा स्व0 विकन सिंह ने भूतपूर्व मालिक जमींदार बाबू किशोर नारायण सिंह सरोपट्टी स्टेट से बजरिये प्रमाणगी बन्दोबस्त दिनांक-24.4.1936 से प्राप्त कर दखलकार रहते आए। भूतपूर्व मालिक जमींदार के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया एवं शेष रिवैल्यूएशन रिटर्न विपक्षीगणों के पूर्वज विकन सिंह के नाम भी निर्गत किया गया। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात बिहार सरकार के संबंधित अंचल में जमाबंदी कायम होकर मालगुजारी रसीद भी विपक्षीगण प्राप्त करते आ रहे हैं। रिविजन सर्वे में स्वामित्व के अधिकार एवं दखल-कब्जा के आधार पर प्रश्नगत भूमि विपक्षीगण के दादा विकन सिंह के नाम से दर्ज

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

	19.2.2026	हुआ। एवं खतियान का अंतिम प्रकाशन 1991 ई. में हो चुका है। जिसका नया खाता-639, खेसरा-3562, रकवा-8 डी. है। जो विपक्षीगणों के आवासीय भू-खंड का अंश है। तथा शांति पूर्ण दखल-कब्जा में है। प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा के समक्ष विविध वाद संख्या-367/1993 धारा-145 द.प्र.स. चला जिसमें विपक्षीगण के पक्ष में दखल-कब्जा घोषित किया गया। एवं अपीलार्थी को विवादित भूमि पर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, मधेपुरा के यहाँ क्रीमनल रिविजन- 101/2018 दाखिल किया गया। जिसमें निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया। तथा अपीलार्थी के दावा को खारिज किया गया। विपक्षीगणों का कहना है कि उनके द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा के समक्ष भूमि विवाद वाद दायर किया गया। जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत उनके दखल कब्जा को संपुष्ट किया गया। निम्न न्यायालय के द्वारा स्थल जाँच किया गया। जिसमें प्रश्नगत जमीन के कुछ अंश पर फूस का पशु सेड एवं शेष हिस्सा खाली पाया गया। अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद अवैध कब्जा किये हैं। तथा अंचलाधिकारी, सिंहेश्वर को अपीलार्थी के द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में अवैध दखल को चिन्हित कर विपक्षीगण को दखल दिलाने का निदेश दिया गया। तदालोक में विपक्षीगणों के द्वारा पुलिस बल का खर्चा नाजीर रसीद से जमा किया गया। उक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षीगणों के द्वारा इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र Reply/ Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत जमीन उनके पूर्वज को भूतपूर्व जमींदार से प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। उभय पक्ष की ओर से दाखिल वाद पत्र/जवाब के अवलोकन से यह जटिल स्वत्व का मामला प्रतीत होता है। अपीलार्थी की ओर से इस मामले के संदर्भ में Title Suit No.-633/2024 दाखिल रहने का तथ्य उपस्थापित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन आदेश में मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144/145 के संदर्भ में अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा द्वारा वर्ष 2017 तथा अपील में सिविल न्यायालय, मधेपुरा द्वारा वर्ष 2020 में पारित आदेश को आधार बनाया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की गई Proceeding/पारित आदेश उभय पक्ष के बीच स्वत्व विवाद का निराकरण नहीं कर सकता है। निम्न न्यायालय के स्तर से उपरोक्त पारित आदेशों के अनुसार प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी के दखल में रहने के आदेश के आधार पर अपीलाधीन BLDR वाद को विनिश्चित किया गया है। जो इस मामले में दायर Title Suit No.-633/2024 के आलोक में यथोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त Findings के आधार पर निम्न न्यायालय के प्रासंगिक आदेश को स्थगित करते हुए उभय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि सक्षम सिविल न्यायालय में लंबित Title Suit में अपना पक्ष रखते हुए आदेश प्राप्त करें। सिविल न्यायालय के स्तर से इस मामले में आदेश पारित होने तक प्रश्नगत जमीन पर Status Quo (राजस्व अभिलेख एवं सरजमीन पर) Maintain रखा जाय। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Raj K. 19/2/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Raj K. 19/2/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। आयुक्त न्यायालय सत्यमेव जयते कोशी प्रमण्डल, सहरसा	